रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1577] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2016/आषाढ़ 3, 1938
No. 1577] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2016/ASADHA 3, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2016

आय-कर

का.आ. 2196(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 206कक की उपधारा (7) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 37खख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"37खख. धारा 206कक के अधीन उच्च दर पर कर की कटौती से शिथिलीकरण – कोई अनिवासी, जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् कटौतीकर्ता कहा गया है) और धारा 206कक के उपाबंध, जिसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है, ब्याज की प्रकृति में संदाय की बाबत, स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस और किसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर संदाय लागू नहीं होगा यदि कटौतीकर्ता ब्यौरे प्रस्तुत करता है और कटौतीकर्ता के उपनियम (2) विनिर्दिष्ट दस्तावेज हैं"

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कटौतीकर्ता, इसमें विनिर्दिष्ट संदायों की बाबत, कटौतीकर्ता के लिए निम्नलिखित ब्यौरे और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :--

(i) नाम, ई-मेल आई.डी., संपर्क नंबर ;

(ii) देश में पता या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका कटौतीकर्ता एक निवासी है ;

(iii) किसी देश में या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र में निवासी होते हुए, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र सरकार से प्रमाणपत्र यदि उस देश की विधि या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र ऐसे प्रमाणपत्र को जारी करने का उपबंध करता है ;

(iv) देश या उसके निवास के विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में कटौतीकर्ता की कर पहचान संख्या और ऐसे मामले में, जहां संख्या उपलब्ध नहीं है, तब वह विशिष्ट पहचान संख्या, जिसके द्वारा उस कटौतीकर्ता की पहचान उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है ।

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 27थ में,--

(क) दूसरी पंक्ति में, "194ठख" अंक और अक्षर के पश्चात् "194ठखक, 194ठखख, 194ठखग" अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपाबंध में,--

(I) सारणी में,--

(i) स्तंभ 717 में, स्तंभ शीर्षक में, "कटौतीकर्ता का पैन" अक्षर और शब्दों के पश्चात् "(टिप्पण 5 देखें)" कोष्ठक, शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) स्तंभ 734 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"कटौतीकर्ता का ई-मेल आईडी	कटौतीकर्ता का संपर्क नंबर	निवास के देश में कटौतीकर्ता का पता	कटौतीकर्ता का कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या
735	736	737	738";

(II) सारणी के नीचे टिप्पणों में,--

(अ) बिन्दु 4 में, सारणी में, 194ठख प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"194ठखक	कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय	ठखक
194ठखख	विनिधान निधि की यूनिटों की बाबत आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान की बाबत आय	ठखग"

(आ) बिन्दु 4 के पश्चात् और सारणी के नीचे निम्नलिखित बिन्दु अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"5. नियम 37खग के अधीन आने वाले कटौतीकर्ताओं के मामले में," "पैन उपलब्ध नहीं है" उल्लिखित होना चाहिए ।"।

[अधिसूचना सं. 53/2016/फा. सं. 370142/16/2016-टीपीएल]

लक्ष्मी नारायणन, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (ii) द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना का.आ. 2179(अ) तारीख 22 जून, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए ।